न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—95/13 (2013/00129) वाद पत्र

अनवान

1—ईश्वरलाल पिता कस्तुर दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—गेहरीलाल पिता ईश्वरलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/2—पारसदेवी पुत्री ईश्वरलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/3—प्रेम पुत्री ईश्वरलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1—शंकरलाल पिता कस्तुर दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कंकु बाई पत्नि रूपलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—जेठमल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मूलचन्द पिता बरदीचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—कन्हैयालाल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—आशीष पिता श्यामलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—दुर्गा पत्नि श्यामलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—गणपतलाल पिता सोहनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—सत्यनारायण पिता सोहनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—दिनेश पिता भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—लाडदेवी पिता भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—चंदादेवी पुत्री भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—कंकुदेवी पत्नि भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—मदनलाल पिता रामदयाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—किशनलाल मुतबन्ना भीमा जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16—सुखलाल पिता लहरू जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील कुमार बापना — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 09.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात खाता सं[illegible] 712 रकबा 0.23 है0, 718 रकबा 0.01 है0, 719 रकबा 0.95 है0, 720 रकबा 0.28 है0, 721 रकबा 0.49 है0, 722 रकबा 0.16 है0, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार [illegible] संख्या 14 में आराजी चाह संख्या 820 रकबा 0.05 है0 भी वादी व अन्य [illegible] दर्ज रेकार्ड है और [illegible] का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वर्णित आराजी संख्या 712 रकबा 0.23 है इसी आराजी [illegible] संख्या 820 रकबा 0.05 है0 से सिचिंत है और इसका दाखला जमाबन्दी में लगा हुआ है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 वाद पत्र के साथ संलग्न है। आराजी संख्या 820 चाह का उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:43 IST
Reason: SelfAttested

करने का अधिकार प्राप्त है उसी अनुसार वादी उपयोग उपयोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 15 व 16 वादी को आये दिन आराजी चाह संख्या 820 से पानी लेजाने में व्यवधान पैदा करते है और वादी द्वारा बिछाई गई पाईपलाईन को क्षति पंहुचाते रहते है जिससे वादी अपनी खातेदारी की आराजी चाह का उपयोग शान्तिपूर्वक एवं निर्बाध रूप से नही कर पा रहा है जिसके लिये प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है। अत सादर प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व बहक वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम आशाहोली में स्थित आराजी चाह संख्या 820 रकबा 0.05 है0 का वादी द्वारा उपयोग उपभोग किये जाने उससे पानी अपने खेतो में ले जाने, पानी ले जाने हेतु डाली गयी पाईपलाईन धोरे आदि से कोई हस्तक्षेप एवं बाधा प्रतिवादीगण न तो स्वयं उत्पन्न की और न ही किसी से करावे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 की बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया एवं प्रस्तुत रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शे को प्रदर्शित करवाया गया। वादी अधिवक्ता एक पक्षीय बहस सुनी गई। दोराने बहस निवेदन किया कि वादीगण खातेदार है ओर प्रतिवादीगण जबरन नाजायज परेशान करते है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि वादीगण वादवर्णित आराजियात का सहखातेदार है एवं आराजी संख्या 820 गै.मु.आचा का भी सहखातेदार है प्रतिवादी संख्या 15 व 16 जो उक्त आराजी का सहखातेदार नही होते हुए भी वादीगण द्वारा आराजी संख्या 820 के उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित आराजी संख्या 820 रकबा 0.05 है0 गै.मु.आचा भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा दर्ज रकार्ड है जिससे वादीगण के हक हिस्से की सीमा तक चाह का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त शामलाती चाह से पानी निकासी में कोई व्यवधान पैदा नही करे और न अपने सिजारी या अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:43 IST
Reason: SelfAttested

9.2.2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–95/13 (2013/00129) वाद पत्र

अनवान

1–ईश्वरलाल पिता कस्तुर दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–गेहरीलाल पिता ईश्वरलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/2–पारसदेवी पुत्री ईश्वरलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/3–प्रेम पुत्री ईश्वरलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1–शंकरलाल पिता कस्तुर दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–कंकु बाई पत्नि रूपलाल दर्जी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–जेठमल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–मूलचन्द पिता बरदीचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–कन्हैयालाल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–आशीष पिता श्यामलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–दुर्गा पत्नि श्यामलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–गणपतलाल पिता सोहनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9–सत्यनारायण पिता सोहनलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10–दिनेश पिता भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11–लाडदेवी पिता भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12–चंदादेवी पुत्री भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13–कंकुदेवी पत्नि भंवरलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14–मदनलाल पिता रामदयाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15–किशनलाल मुतबन्ना भीमा जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16–सुखलाल पिता लहरू जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित आराजी संख्या 820 रकबा 0.05 है0 गै.मु.आचा भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा दर्ज रकार्ड है जिससे वादीगण के हक हिस्से की सीमा तक चाह का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त शामलाती चाह से पानी निकासी मे कोई [illegible] पैदा नही करे और न अपने सिजारी या अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09[illegible] को मेरे [illegible] लिखाया, जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:43 IST
Reason: SelfAttested

9.2.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा